102

न्यायालयः—माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक0 / 2016 अवमानना आवेदन

1. भूरा पुत्र श्री नाथूसिंह
2. राकेश पुत्र नाथूसिंह समस्त निवासीगण ग्राम भटपुरा डॉग तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

(1) म.प्र. शासन ——— अना.

अवमानना आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1872 के अधीन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से अवमानना आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1. यह कि, योग्य अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत रिठोरा कलॉ मौजा पटवारी भटपुरा डॉग तहसील व जिला मुरैना द्वारा सयुक्त रूप से एक फर्जी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भटपुरा डांग के 'शासकीय भूमि सर्वे क. 1, 2, 3, में से रकवा 0.32 हें. भूमि पर आवेदक भूरा, राकेश पुत्रगण नाथूसिंह गुर्जर द्वारा रेत , पत्थर डालकर बाउण्डी बनाकर कच्ची पाटोर बनाकर अतिकमण कर लिया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नायव तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीवद्ध कर प्रकरण कमांक 01/2016–17/अ–68 दर्ज किया जाकर आवेदकगण को आहुत किये बिना तथा पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किये बिना आवेदकगण के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता की धारा 248 की कार्यवाही करते हुये अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित आदेश दिंनाक 03.10.2016 से अवैध कब्जा मानकर हटाने के आदेश किये है। साथ ही अनु.वि.अधि. मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण भेंजा गया अनु.वि.अधि. मुरैना द्वारा दिनांक 04.10.2016 से सिविल वारन्ट के आदेश पारित किये है। उसी आदेश के पालन में दिंनाक 22.11.2016 सिविल कारागार में आवेदक क. 1 भूरा को सिविल कारागार मुरैना में बन्द है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-9297-II/16 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	आवेदक अभि० को एवं आवेदक को समय-समय पर आवाज लगवाई गई। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभि० के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज की जाती है। सदस्य	

[कृ. प. उ.